संख्याः 215/VIII/ 726–श्रमटीसी/ 02

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उत्तरांचल,हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांकः 16 मार्च–2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आयोजनागत पक्ष में बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास योजनान्तर्गत मानक मद संख्या–42–अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि का आंबटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 2600/बजट–15/मु0/2004 दिनांक 09,सितम्बर–2004 एवं पत्र संख्या : 3525/बजट–15/मु0/2004 दिनांक 15,दिसम्बर–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि आयोजनागत पक्ष के अर्न्तगत बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास योजनान्तर्गत मानक मद संख्या–42 अन्य व्यय में प्राविधानित कुल धनराशि रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृति की जा रही है, कि इकोनोमी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों मे किया जायेगा,जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

3– उपरोक्त धनराशि आपके प्रस्तावानुसार प्रदेश स्तर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा (कापी, किताबें, ड्रेस, आदि) स्वास्थय खेलकूद मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं यात्रा वजीफा हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा । स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31,मार्च–2005 तक पूर्ण उपयोग कर, इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या– 16 मुख्य लेखाशीर्षक– 2230– श्रम तथा रोजगार, 01–श्रम,आयोजनागत 103–सामान्य श्रम कल्याण 05–बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं पुर्नवास योजना –00 42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। यह आंबटन श्रमायुक्त के अधीन समस्त कार्यालयों के लिये किया जा रहा है।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0 595/वि0अनु0–3/ 04, दिनांकः 11,मार्च–2005, के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 215 / VIII / 726–श्रमटीसी/ 2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
3. वित्त अनुभाग– 3
3. अपर श्रमायुक्त, उत्तरांचल ।
4. एन0आई0सी0 उत्तरांचल शासन ।
5. श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त (बजट) उत्तरांचल शासन ।
6. नियोजन–विभाग
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।